F.T.S.-2571/2024

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न0–1, सैक्टर–के0 पी0–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)।
website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

पत्रांकः जल/2024/ 407 दिनांकः 05 /01 /2024

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के आवासीय, संस्थागत, आई0टी0, औद्योगिक, व्यावसायिक, बिल्डर्स, ग्रुप हाउसिंग (Ploted/Flated) के आवंटियों से ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा जल सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सापेक्ष लिये जा रहे जलशुल्क की धनराशि को आंवटियों से वसूले जाने हेतु प्राधिकरण एवं आंवटी हित में प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदन उपरान्त O.T.S. (एक मुस्त समाधान) योजना लाई जा रही है, जिसमें आवंटी द्वारा निर्धारित तिथि में जलशुल्क जमा करने पर इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

1. दिनांक 31.03.2023 तक के लम्बित जल शुल्क धनराशि पर कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक 31.01.2024 के मध्य बकाया डिफाल्ट धनराशि जमा करने पर कुल ब्याज में 40% की छूट अनुमन्य होगी।
2. दिनांक 31.03.2023 तक के लम्बित जल शुल्क धनराशि पर दिनांक 01.02.2024 से 29.02.2024 के मध्य बकाया डिफाल्ट धनराशि जमा करने पर कुल ब्याज में 30% की छूट अनुमन्य होगी।
3. दिनांक 31.03.2023 तक के लम्बित जल शुल्क धनराशि दिनांक 01.03.2024 से 31.03.2024 के मध्य बकाया डिफाल्ट धनराशि जमा करने पर कुल ब्याज में 20% की छूट अनुमन्य होगी।
4. दिनांक 31.03.2024 के उपरान्त लम्बित देय जल शुल्क पर ब्याज पर छूट की यह योजना स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा तत्समय लागू दरों के अनुसार ही वसूली की जायेगी।

सामान्य शर्तेः–

- आवंटी द्वारा प्राधिकरण की Official website "investgnida.in" के माध्यम से Online भुगतान किया जायेगा।
- निर्धारित तिथि समाप्ति उपरान्त इस योजना के लाभ हेतु किसी भी आवंटी द्वारा कोई भी वाद–विवाद नहीं किया जा सकता है तथा प्राधिकरण योजना की तिथि को बढाने तथा घटाने का अधिकार प्राधिकरण अपने पास सुरक्षित रखता है।

अतः आवंटियों से अनुरोध है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुये निर्धारित तिथियों में बकाया धनराशि का भुगतान कर योजना का लाभ प्राप्त करने का कष्ट करें।

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ प्रबन्धक (जल) को सूचनार्थ।
4. प्रबन्धक (सिस्टम) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

05/01/24
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

WC-JAL/2021/Letter/docx 1268

"जल ही जीवन है, राष्ट्रीय हित में जल बचायें।"